भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *366

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है

05 चैत्र, 1947 (शक)

ऑनलाइन गेमिंग में विनियमन और पारदर्शिता

***366. डॉ. अमर सिंह** :

डॉ. नामदेव किरसान :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में वित्तीय लेनदेन को विनियमित करने और उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऑनलाइन सट्टेबाजी की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधडी और इसकी लत को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में वित्तीय कदाचार और डेटा संबंधी उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) क्या देश में गेम्स तथा खेलों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी को विनियमित करने के लिए कोई कानून है या सरकार की कोई विशिष्ट कानून लाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(घ)**: एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

‘ऑनलाइन गेमिंग में विनियमन और पारदर्शिता’ के संबंध में दिनांक 26.03.2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *366 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

.....

(क) से (घ): केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक मूक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद के लिए, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वित्तीय लेनदेन को विनियमित करने और उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा शुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से होने वाली आय पर आयकर की कटौती सूनिश्चित करने के लिए, सरकार ने वित्त अधिनियम, 2023 के जरिए निर्धारण वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध रकम पर तीस प्रतिशत की दर से आयकर काटने की शुरुआत की है।

इसके अलावा, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग में 28% की दर से जीएसटी भी लागू किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ता को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ("आईजीएसटी अधिनियम") में संदर्भित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं को भी आईजीएसटी अधिनियम के तहत विनियमित किया जा रहा है।

जीएसटी आसूचना मुख्यालय महानिदेशालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और आईजीएसटी अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार/एजेंसी के रूप में अधिकार प्राप्त है कि वह आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों सहित गैर-पंजीकृत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को निर्देश दे।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की पृविष्टि संख्या 34 के तहत "सट्टेबाजी और जुआ" राज्य का विषय है और राज्य के विधानों में सट्टेबाजी और जुए से संबंधित अपराधों को परिभाषित किया गया है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 162 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानसभाओं को सट्टेबाजी और जुए से संबंधित मामलों पर विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है।

इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी और जुए पर कार्रवाई सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं।

तदनुसार, राज्य पुलिस विभाग अवैध सट्टेबाजी और जुए के संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों और उनके एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परामर्शी निदेशों और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (“बीएनएस”) की धारा 112(1) , जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई, के अनुसार अनधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

वैयिक्तिक डेटा की सुरक्षा के संबंध में, आईटी अधिनियम के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील वैयिक्तिक डेटा या सूचना) नियम, 2011 को संवेदनशील वैयिक्तिक डेटा या सूचना पर उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रियाएं निर्धारित करते हुए अधिसूचित किया गया है।
इसके अलावा, डिजिटल वैयिक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भी अधिनियमित किया गया है जिसके तहत डेटा सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है और डेटा फ़िड्यूशरीज़ को डिजिटल वैयिक्तिक डेटा संसाधित करते समय सुरक्षा उपायों के साथ-साथ मजबूत तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करना अनिवार्य बनाया गया है।

इसके अलावा, आईटी अधिनियम में कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, बेईमानी या धोखाधड़ी से कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुंचाना, पहचान की चोरी, छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी, साइबर आतंकवाद, संरक्षित प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, आईटी अधिनियम में संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना तक पहुंच अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में यथापरिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त से संबंधित कोई भी संज्ञेय अपराध करने के लिए उकसाने से रोकने हेतु विशिष्ट सूचना/लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को अवरोधन आदेश जारी करने का प्रावधान है।

एमईआईटीवाई ने वर्ष 2022-25 (फरवरी, 2025 तक) के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों (मोबाइल एप्लिकेशन सहित) से संबंधित 1410 अवरोधन निर्देश जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय ("एमएचए") ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए एलईए को एक ढांचा और पारिस्थतकी तंत्र प्रदान करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ("आई4सी") की स्थापना की है।

एमएचए ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए अलग-अलग तंत्र हैं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है।

गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। एनसीआरबी विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का रखरखाव करता है।
ऑनलाइन गेम की लत के संबंध में, शिक्षा मंत्रालय ने अभिभावकों और शिक्षकों के लिए "ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर काबू पाने" और "बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग" पर एक परामर्शी निदेश (एडवाइजरी) जारी किया है।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को 'ऑनलाइन गेम, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन' पर परामर्शी निदेश जारी किया है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उनका अनुपालन किया जाए। दिशा-निर्देशों में यह भी शामिल है कि हर गेमिंग विज्ञापन में प्रिंट/स्टेटिक मीडिया के साथ-साथ ऑडियो/वीडियो फॉर्म में एएससीआई कोड के अनुसार अस्वीकरण शामिल होना चाहिए, जिसमें यह संकेत दिया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम निहित है और इससे लत पड़ सकती है।

******